

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्र.क.क.मांक-71/2012
 संस्थित दिनांक-26.11.2012

श्रीमति तारामति पति राजेश तांडे
 निवासी-बोदा, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आवेदिका

// **विरुद्ध** //

राजेश पिता यशवंत तांडे
 निवासी-बोदा, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
 हाल मुकाम-बिरगांव थाना उरला, जिला रायपुर (छ.ग.)

----- अनावेदक

// **आदेश** //

(आज दिनांक-21/08/2014 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नि है।
- 3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि अनावेदक के भाई राकेश की पत्नि पूनम के द्वारा अधिक दहेज लाने और आवेदिका द्वारा कम दहेज लेकर आने पर अनावेदक प्रताडित करता था। अनावेदक, आवेदिका के साथ तथा उसका भाई राकेश अपनी पत्नि के साथ जीविकोपार्जन के लिए बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर छत्तीसगढ़ गया था। बिरगांव में दोनों भाई के परिवार अलग-अलग निवास करते थे, किन्तु एक साथ खान-पान किया करते थे। अनावेदक वैवाहिक कार्यक्रम के सम्मिलित होने ग्राम मानेगांव गया था, जहाँ से लौटने के पश्चात् अनावेदक के द्वारा अनावश्यक रूप से शक करते हुए आवेदिका को मारपीट किया जाने लगा और दूसरी शादी की धमकी दी जाने लगी। आवेदिका ने उक्त बात अपने पिता को बतायी, जिस पर समाज की मिटिंग दिनांक-24.10.2012 को मंगल भवन गढ़ी में रखी गई, किन्तु समाज की मिटिंग में उनकी समस्या का हल नहीं निकल पाया। आवेदिका वर्तमान में अपने पिता के पास निवास कर रही है तथा अनावेदक ने उसे अपने साथ ले जाने का

प्रयास नहीं किया। आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर मैकेनिक के रूप में इस्पात कम्पनी में काम करते हुए 12,000/-रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता है, इसके अलावा उसे उसकी खानदानी कृषि भूमि से 2,00,000/-रुपये सालाना आय प्राप्त होती है। आवेदिका को अनावेदक से 3,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि दिलायी जावे।

4— अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि ग्राम बिरगांव में वह तथा उसका भाई अपने परिवार सहित दो कमरे वाले मकान को किराये पर लेकर रहते थे। दिनांक-03.09.2012 को जब वह अपनी ड्यूटी से घर पर जल्दी लौट आया तो उसने आवेदिका को उसके भाई राकेश के साथ आपत्ति जनक स्थिति में देख लिया। आवेदिका एवं उसके भाई राकेश द्वारा उससे माफी मांगी गई। आवेदिका से पूछताछ करने पर उसे जानकारी हुई कि राकेश ने अपनी पत्नि पूनम को बालकनी में भेज दिया था और आवेदिका ने यह भी बताया कि वर्ष 2011 से ही राकेश व उसके बीच शारीरिक संबंध स्थापित है। उक्त घटना के 10 दिन बाद अनावेदक अचानक घर लौटा तो पुनः राकेश और आवेदिका तारामति उसके कमरे में आपत्ति जनक स्थिति में सोये हुए थे, उस समय राकेश की पत्नि पूनम बाजार सब्जी लेने गई थी। आवेदिका के उक्त चाल-चलन से व्यतीत होकर उसी दिन आवेदिका एवं राकेश व उसकी पत्नि को लेकर अपने गृह नगर ग्राम बोदा आ गया और परिवार वालों को उक्त घटना की जानकारी दी, जिस पर आवेदिका ने परिवार वालों को कहा कि वह राकेश से प्यार करती है और अनावेदक के साथ नहीं रहना चाहती। आवेदिका उसी समय अपने मायके चले गयी। आवेदिका की बदचलनी से मानसिक रूप से व्यथित होकर अनावेदक ने गांव-समाज की बैठक बुलायी, जिसमें आवेदिका और राकेश ने उनके मध्य अवैध शारीरिक संबंध लगातार स्थापित होने की बात स्वीकार की थी। उक्त मिटिंग के पश्चात् भी आवेदिका, अनावेदक के साथ रहने को तैयार नहीं हुई और वर्तमान में भी उसके राकेश के साथ अवैध संबंध स्थापित है। आवेदिका सिलाई-कढ़ाई व मजदूरी करके 150/-रुपये प्रतिदिन कमाती है। आवेदिका ने अपनी बदचलनी को छुपाकर असत्य आधार पर आवेदन पेश किया है। अतएव आवेदिका का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या आवेदिका निरंतर रूप से जारता की दशा में रह रही है ?
3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?

4. क्या आवेदिका, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 से 4 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका तारामति (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि अनावेदक के भाई राकेश की पत्नि के द्वारा अधिक दहेज लाने और उसके द्वारा कम दहेज लाये जाने पर से अनावेदक प्रताडित करते हुए दहेज की मांग करता था। अनावेदक व उसका भाई राकेश जीविकोपार्जन हेतु ग्राम बिरगांव गये थे, जहां उनके साथ वह तथा राकेश की पत्नि भी गई थी, लेकिन दोनों परिवार अलग-अलग निवास करते थे, कुछ दिन बाद राजेश ने राकेश की पत्नि पूनम को ग्राम मानेगांव ले गया, जहां से लौटने पर अनावेदक उस पर अनावश्यक रूप से शक करने लगा और मारपीट कर उसे मायके पहुंचा दिया। उक्त बात को लेकर समाज में मिटिंग रखी गई थी, जिसमें समाज के लोगों द्वारा उसे डरा-धमका कर कबूलनामे पर हस्ताक्षर कराया गया।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि रायपुर में दो कमरों का मकान में से एक कमरे में अनावेदक उसके साथ तथा दूसरे कमरे में उसका देवर राकेश, पूनम के साथ रहता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक-09.03.2012 को अनावेदक जल्दी लौट आया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दरवाजे में कुण्डी लगी नहीं होने से वह घर के अंदर घुस गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उस समय सब लोग हाल में बैठे थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका अनावेदक के भाई राकेश से अवैध शारीरिक संबंध स्थापित थे। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि कई बार राकेश के साथ वह अकेले घर में रही है। साक्षी का स्वतः कथन है कि केवल एक बार ही वह राकेश के साथ अकेले रही है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त घटना के 10 दिन बाद अनावेदक के द्वारा अचानक घर पर आकर उसे और राकेश को बिना कपड़े के एक पलंग पर देखा गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना के बाद उसके पति राजेश ने गांव-समाज में मिटिंग बुलायी थी, जिसमें वह अपने पिता के साथ गई थी, जहां उसे जानकारी हुई कि मिटिंग उसके तथा राकेश के बीच अवैध संबंध को लेकर रखी गई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि समाज की मिटिंग में उसने लिखा-पढ़ी होने पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कोरे दस्तावेज पर सामाजिक बैठक में हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त बैठक में उसे राकेश को सौंप दिया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके और राकेश के बीच अभी भी अवैध संबंध है।

8— कीर्तिचंद (आ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में आवेदिका का समर्थन

करते हुए कथन किया है। साक्षी ने अनावेदक द्वारा आवेदिका को कम दहेज की मांग पर से मारपीट करने और उसके मायके में छोड़ने का कथन किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे सामाजिक मिटिंग में बुलाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनावेदक के भाई राकेश और आवेदिका के अवैध संबंध को लेकर मिटिंग हुई थी।

9— अनावेदक राजेश तांडे (अना.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में आवेदिका की ओर से उसके कथन का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। अनावेदक की ओर से समाज के संयुक्त अध्यक्ष फुलासराम (अना.सा.2) की साक्ष्य करायी गई है, जिसमें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अनावेदक ने उसे दिनांक-14.10.2012 का आवेदन देकर उसकी पत्नि तारामति और छोटे भाई राकेश के बीच अवैध संबंध होने के बारे में बताया था, जिस पर सामाजिक बैठक बुलायी गई थी, उक्त बैठक में समाज व गांव के लगभग 86 लोग एवं राकेश, राजेश, तारामति, पूनम उपस्थित हुये थे। उक्त बैठक में आवेदिका तारामति एवं राकेश ने एक-दूसरे के साथ अवैध संबंध होना स्वीकार किया था। बैठक में दोनों पक्षों को समझाया गया था, किन्तु तारामति ने भविष्य में अपनी मर्जी से राकेश के साथ रहना बतायी थी। आवेदिका सबके समझाने पर भी नहीं मानी और राकेश के साथ चली गई थी। समाज के बैठक में तैयार रजिस्टर की प्रोसेडिंग दिनांक-14.10.2012 प्रदर्श डी-1 तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श डी-2 को साक्षी ने पेश किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आवेदिका की ओर से प्रोसेडिंग की कार्यवाही प्रदर्श डी-1 को चुनौती देने का प्रयास किया गया है, किन्तु महत्वपूर्ण रूप से उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसी चुनौती भी पेश नहीं की गई है कि आवेदिका ने समाज की मिटिंग में उसके निर्दोष होने के कथन किये हो, जिसे समाज के लोगों ने अमान्य कर दिया हो। वास्तव में साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आवेदिका और राकेश के मध्य अवैध शारीरिक संबंध होने के स्वीकारोक्ति वाले मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन आवेदिका के द्वारा नहीं किया गया है।

10— अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी संतोष (अना.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में अनावेदक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि समाज की मिटिंग में सभी के सामने आवेदिका तथा अनावेदक के भाई राकेश ने उनके मध्य अवैध संबंध होना स्वीकार किया है। उक्त मिटिंग के बाद राकेश के साथ रहने चली गई। वर्तमान में राकेश को आवेदिका के घर छुपते हुए आते-जाते उसने कई बार देखा है। उक्त तथ्य का खण्डन साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आवेदिका की ओर से नहीं किया गया है।

11— अनावेदक की ओर से प्रस्तुत समाज की बैठक का प्रोसेडिंग रजिस्टर दिनांक-14.10.2012 प्रदर्श डी-1 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि "घटना की

सत्यता समाज के समक्ष पाये जाने के कारण श्रीमति तारामति को दिनांक-14.10.2012 को राकेश को सहमति से सौंपा गया, जिसे दोनों ने स्वीकार किया, राकेश की पत्नि पूनम ने भी इस संबंध को समाज के समक्ष स्वीकार किया। उक्त दस्तावेज पर आवेदिका के हस्ताक्षर को चिन्हित नहीं किया गया है, किन्तु उक्त दस्तावेज पर आवेदिका तारामति (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में स्वतः कथन किये हैं कि समाज की मिटिंग में उसने कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। यद्यपि कथित रूप से कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के संबंध में फुलासराम (अना.सा.2) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दिये जाने पर साक्षी ने उक्त तथ्य से इंकार किया है। सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से आवेदिका के द्वारा कथित कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जाने की अधिसंभावना प्रकट नहीं होती, बल्कि समाज की बैठक की प्रोसेडिंग रजिस्टर प्रदर्श डी-1 में सभी पक्ष के हस्ताक्षर होना प्रकट होता है।

12- प्रकरण में आवेदिका के द्वारा जारता की दशा में रहने के तथ्य को प्रमाणित करने का भार अनावेदक पर है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 में प्रयुक्त शब्द "पत्नि जारता की दशा में रह रही है" का तात्पर्य निरंतर जारतापूर्ण आचरण से है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन जारता का एक कृत्य ही विवाह विच्छेद का पर्याप्त आधार हो सकता है, किन्तु दण्ड प्रक्रिया की धारा-125 के अंतर्गत निरंतर जारता की स्थिति में रहना प्रमाणित होना आवश्यक है। मामले में आवेदिका और अनावेदक के भाई राकेश के मध्य अवैध संबंध होने के तथ्य को बिरगांव में रहते हुए अनावेदक के स्वयं के द्वारा देखा गया है, जिसका खण्डन अनावेदक राजेश (अना.सा.1) की साक्ष्य में नहीं हुआ है, बल्कि प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि अनावेदक ने स्वयं उसके घर पर आवेदिका को उसके देवर राकेश के साथ उसे आपत्ति जनक स्थिति में देखा है।

13- उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह प्रबल अधिसंभावना प्रकट होती है कि आवेदिका तथा राकेश के मध्य अवैध शारीरिक संबंध रहे हैं और समाज की बैठक के उपरांत भी उनके मध्य उक्त संबंध निरंतर बने हुए हैं। आवेदिका की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि यदि पति के द्वारा पत्नि पर जारकर्म का आरोप लगाया जाता है तो पत्नि अपने पति के साथ रहने से इंकार कर सकती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मामले में अनावेदक पति की ओर से यह प्रमाणित किया गया है कि आवेदिका ने उसके देवर राकेश के साथ अवैध शारीरिक संबंध स्थापित कर जारकर्म किया है। ऐसी दशा में अनावेदक के द्वारा लगाया गया जारता का आरोप निराधार नहीं है। यद्यपि आवेदिका के निरंतर जारता में निवासरत् होने के संबंध में ठोस साक्ष्य का अभाव है, किन्तु सामाजिक बैठक में उपस्थित साक्षीगण फुलासराम (अना.सा.2) एवं संतोष (अना.सा.3) की मौखिक साक्ष्य,

सामाजिक बैठक के प्रोसेडिंग रजिस्टर प्रदर्श डी-1 की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनावेदक ने आवेदिका के साथ उसके देवर राकेश से अवैध संबंध होने के बावजूद भी आवेदिका को साथ में रखने के लिए सामाजिक बैठक बुलायी थी और आवेदिका स्वयं ने बैठक में अनावेदक के साथ न रहने की इच्छा व्यक्त की थी। आवेदिका ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि वह अनावेदक के तथाकथित दहेज की मांग करने के कारण परेशान होकर अपने मायके में निवास कर रही है, बल्कि आवेदिका को अनावेदक द्वारा रंगे हाथों जारता करते हुए पकड़े जाने पर आवेदिका स्वयं की इच्छा से अनावेदक के साथ निवास न करते हुए मायके में निवासरत् है। आवेदिका का अनावेदक के भाई राकेश के साथ रहने की इच्छा को समाज के लोगों के द्वारा मान्य किये जाने को आवेदिका का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में आवेदिका बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक निवास कर रही है।

14— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होकर आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति है तथा आवेदिका के पास आय का निश्चित साधन नहीं है, जिस कारण वह अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है। यद्यपि प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका को अपने साथ रखने का प्रयास किया गया, किन्तु आवेदिका अपनी मर्जी से अनावेदक के साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसी दशा में अनावेदक के द्वारा आवेदिका के भरण—पोषण में उपेक्षा बरते जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

15— आवेदिका बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक निवासरत् है, जिस कारण विधिक रूप से वह अनावेदक से भरण—पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अतएव उक्त कारण से आवेदिका का आवेदन पत्र धारा-125 द.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

16— उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट